भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

बीछ्वाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

नीलामी सूचना

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से निदेशक, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान प्रक्षेत्र में फल उत्पादन इकाई तृतीय में प्रयोगात्मक प्रखण्डो के अतिरिक्त शेष क्षेत्रफल में हरी घास/सेवण घास कटाई करने एवं बेचने हेतु खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय पर दिनांक 12.09.2019 को **सुबह 11.30** बजे (गुरुवार) आयोजित की जावेगी। खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति **रु.2000/-** (रुपये दो हजार मात्र) की बयाना राशि जमा करवाकर बोली लगा सकते है। अधिकतम राशि की बोली लगानेवाले बोलीदाता को मौके पर ही बोली की सम्पूर्ण राशि नगद रूप मे जमा करवानी होगी |इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेबसाइट **www.ciah.icar.gov.in** एवं CPP NIC Portal पर उपलब्ध है।

प्राप्त अधिकतम बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

भाकृअनुप
ICAR

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

संस्थान प्रक्षेत्र में फल इकाई तृतीय में प्रयोगात्मक प्रखण्डो के अतिरिक्तशेष क्षेत्रफल में हरी घास/सेवण घास की खुली नीलामी (दिनांक 12.09.2019 को सुबह 11.30 बजे) के विस्तृत नियम व शर्त |

1. संस्थान में फल उत्पादन इकाई तृतीय में पप्रयोगात्मक प्रखण्ड के अतिरिक्त हरी घास/ **सेवण घास की कटाई** की नीलामी की जानी है।
2. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यकित को बयाना राशि के रुप में रु.2000/- (रुपये दो हजार मात्र) जमा कराने होंगे |
3. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा |
4. जिस व्यकित के नामे से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की समस्त राशि मौके पर ही जमा कराना होगा | तत्पश्चात ही सफल बोली दाता को कटाई एवं ले जाने हेतु कार्य प्रारंभ करने का अधिकार पत्र जारी किया जायेगा |
5. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हरी घास की कटाई करते समय संस्थान की अन्य संपति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे | प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा | यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी |
6. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा |
7. हरी घास/ **सेवण घास** को ले जाने का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देख-रेख में प्रात: 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा | रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य नही होगा | संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को हरी घास/ **सेवण घास** की कटाई के लिये नही लगाना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा |हरी घास /**सेवण घास** की ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है |
8. किसी भी प्राकृतिक आपदा एवं अन्य किसी भी कारण हरी घास/ **सेवण घास** की कटाई से को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी |
9. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अदेयता प्रमाणपत्र (No dues Certificatte) जारी करने पर किया जायेगा | इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा |
10. केवल कार्य दिवस व कार्यालय समय में ही उपरोक्त कार्य सम्पन्न करना होगा एवं सामान की निकासी गेट पास द्वारा (10 A.M. से 5 P.M.) कि जायेगी ।
11. संस्थान के किसी भी अनुसंधान प्रखण्ड एवं संस्थान की अन्य संपत्ति, पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों इत्यादि को अनुबंधक एवं उसके श्रमिकों द्वारा कोई क्षति नही पहुचाई जायेगी अन्यथा इसके लिये अनुबंधक उत्तरदायी होगा एवं इसकी भरपाइ अनुबंधक से की जावेगी।
12. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेगे तथा एक माह का समय दिया जाएगा |
13. उपरोक्त हरी घास/**सेवण घास** की कटाई अनुबंधक को संस्थान फार्म से जहाँ उगी है वहाँ से ही कटाई करनी होगी ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी